

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) पाली


क्रमांक: शिविपा/मा/संस्था-1/रालोसेआ/सी.भ.-2013/क.स./18/787

दिनांक: 16 अप्रैल 2018

-:: कार्यालय आदेश ::-

श्रीमान् निदेशक, मा.शि.राज.बीकानेर के आदेश क्रमांक:शिविरा-माध्य/संस्था/बी-1/2856/RPSC-2013/17-18 दिनांक 22.02.2018 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 25.02.2018, 13.04.2018 के द्वारा राज.लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा लिपिक ग्रेड-द्वितीय (कनिष्ठ सहायक) भर्ती परीक्षा-2013 में मा.राज.उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा डी.बी.सिविल याचिका सं. 1693/2017 राज.लोक सेवा आयोग बनाम अनिल कुमार व अन्य रिट याचिकाओं में पारित आदेश दि. 03.11.2017 की अनुपालना में घोषित अस्थाई परिणाम दि. 07.07.2017 में चयनित/अभिस्तावित निम्नांकित अभ्यर्थियों को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति प्रदान करने हेतु पाली जिला आवंटित कर इस कार्यालय को सुपुर्द किये जाने के फलस्वरूप निम्नांकित अभ्यर्थीगण को कनिष्ठ सहायक के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित विधालय में स्पष्ट रिक्त पद राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 के अनुसार लेवल-05 में परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में दो वर्ष के परीवीक्षाकाल पर नियमानुसार देय नियत स्थिर मानदेय 14600/- (पूर्व में सेवारत होने स्थिति में विद्यमान वेतन)पर नियुक्ति प्रदान की जाती है।

इनकी नियुक्ति रा.से.नि. एवं राज.अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 एवं राज्य सरकार के पत्र क्रमांक: प.8(1) कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी। इनकी नियुक्ति एवं पदस्थापन की कार्यवाही राज्य सरकार के पत्रांक: प.17 (15) शिक्षा-2/2014 दिनांक 04.09.2017 द्वारा निर्धारित नीति एवं निर्देशानुसार तथा निदेशालय, मा.शि. राज. बीकानेर में आयोजित परामर्श शिविर में विकल्पित किये गये विधालयों में की गई है।

क्र. सं.	मेरिट संख्या	रोल नम्बर	नाम अभ्यर्थी / पिता का नाम मय पता	जन्मतिथि	वर्ग	चयन वर्ग	ब्लॉक	पदस्थापन स्थान	अभ्यर्थी का फोटो
1	3149	652241	BHANWARA RAM/ AMARA RAM ढाका कृषि फॉर्म, बडला बासनी, तह.तिवरी, जिला-जोधपुर	05/06/1990	BC	OBCM	रोहट	राउमावि सिणगारी	

सम्बंधित संस्थाप्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेंगे :-

- नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार सम्बंधित अभ्यर्थी का सम्बंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बंधी सदाचरण रिपोर्ट एवं प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
- नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी के नाम/उपनाम/विवाह सम्बंधी शपथ पत्र/विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र एवं दो से अधिक संतान नहीं होने का शपथ पत्र निर्धारित प्रोफोर्मा में कार्मिक(क-2) विभाग की अधिसूचना दि.24.02.2011 एवं दिनांक 20.11.2015 की अनुपालना में पूर्ति सुनिश्चित की जावे। गर्भवती महिला अभ्यर्थियों के लिये कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 16.08.2005 का आवश्यकतानुसार अनुसरण किया जावे।
- राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता सम्बंधी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं के वैध व मान्य पाये जाने के अध्यधीन प्रदान की जा रही है। अतःनियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाये जाने से पूर्व सम्बंधित अभ्यर्थी से 10/- के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र अनिवार्यतः प्राप्त किया जावे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर से अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पायी जाती है, तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त किये जाने के अध्यधीन होगी एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने सम्बंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा एवं ऐसी नियुक्ति कभी भी निरस्त की जा सकेगी।
- कार्यग्रहण करवाने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का सत्यापन मूल दस्तावेजों से कर सही पाये जाने पर ही इन्हे कार्यग्रहण करावे साथ ही मूल दस्तावेजों की सत्यापित प्रति विधालय रिकॉर्ड में संधारण हेतु अनिवार्यतः प्राप्त की जावे। मूल दस्तावेजों से सत्यापन में कोई भिन्नता पाई जाने की स्थिति में कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे एवं उसके सम्बंध में विस्तृत स्पष्ट टिप्पणी सहित इस कार्यालय को सूचना तत्काल भिजवाई जावे।
- अ.पि.व. का सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिये एवं प्रमाण पत्र में यह भी प्रमाणित किया गया हो कि अपर्वजनकारी नियम इन पर लागू नहीं होता है। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात का बना हुआ प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने पर अथवा अभ्यर्थी क्रिमीलेयर श्रेणी में होने पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा उसके सम्बंध में विस्तृत स्पष्ट टिप्पणी सहित इस कार्यालय को सूचना तत्काल भिजवाई जावे। उपरोक्तानुसार अन्य पिछडा वर्ग के प्रमाणपत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछडा वर्ग के आवेदकों को कार्यग्रहण करवाया जावे।



6. कार्यग्रहण कराने से पूर्व सम्बंधित अभ्यर्थी का मूल आवेदन पत्र पर चस्पा छायाचित्र (फोटो) से मिलान कर यह सुनिश्चितता कर ली जावे कि वही अभ्यर्थी नियुक्ति प्राप्त करे जिसका आवेदन पत्र पर छायाचित्र चस्पा हैं।
7. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रसारित विज्ञप्ति के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित 965/2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम श्रवणसिंह में पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 व अन्य याचिकाओं/अपीलों के अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन की गई हैं। अतः सम्बंधित अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करवाये जाने से पूर्व उक्त आशय का शपथ पत्र 10/- के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र अनिवार्यतः प्राप्त किया जावे।
8. एस.बी.सी. वर्ग में अस्थाई रूप से चयनित अभ्यर्थियों में से स्पष्ट रूप से पाये गये अभ्यर्थी जिनका परिणाम माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1464-1466/2017 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम कैप्टन गुरुवेन्द्रसिंह एवं अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 09.05.2017 के अध्यक्षीन रहेगी। अतः सम्बंधित अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करवाये जाने से पूर्व उक्त आशय का शपथ पत्र 10/- के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र अनिवार्यतः प्राप्त किया जावे। इस सम्बंध में कार्मिक (क-2) विभाग के आदेश क्रमांक: प.7(2) कार्मिक/क-2/15/पार्ट दिनांक 22.05.2017 में अंकित विशेष पिछड़ा वर्ग के सम्बंध में जारी निर्देशों के अनुसरण कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
9. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से उनकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण सम्बंधी समस्त दस्तावेजों की जांच आवश्यक रूप से कर ली जावे।
10. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र अनिवार्यतः लिया जावे कि उसके द्वारा प्रस्तुत समस्त सूचनाएँ एवं दस्तावेज सही हैं एवं इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने की स्थिति में उनकी यह नियुक्ति किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
11. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व सम्बंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक: प.7(3) कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने सम्बंधी वचनबद्धता (अण्डरटेकिंग) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।
12. आशार्थी के विधवा/तलाकशुदा महिला होने पर उनसे सम्बंधित प्रमाण पत्र यथा न्यायालय की डीक्री, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं आज दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं करने सम्बंधी शपथ पत्र लिये जाने के उपरान्त ही कार्यग्रहण करावे।

सम्बंधित अभ्यर्थी को पदस्थापित स्थान पर दिनांक 01.05.2018 तक अनिवार्यतः कार्यग्रहण करना होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। सम्बंधित संस्थाप्रधान इनके कार्यग्रहण की सूचना से इस कार्यालय को तत्काल वाहक स्तर पर अवगति सुनिश्चित करेंगे एवं शालादर्पण पोर्टल पर इनकी सूचना शीघ्र ही अपडेट करेंगे।


(प. न. लाल अहीर)
जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक) पाली

क्रमांक: शिविपा/मा/संस्था-1/रालोसेआ/सी.भ.-2013/क.स./18/788

दिनांक: 16 अप्रैल 2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राज. जयपुर।
5. अध्यक्ष, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
7. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, पाली।
8. जि.शि.अ. माध्यमिक-प्रथम, जयपुर को उके पत्रांक : 203/23.03.2018 के संदर्भ में सूचनार्थ।
9. सम्बंधित संस्थाप्रधान. राउमावि सिणगारी, जिला-पाली।
10. सम्बंधित आशार्थी श्री भंवराम गृह पते पर पंजीकृत डाक द्वारा।
11. नोटिस बोर्ड, स्था.कार्यालय।
12. रक्षक पंजिका।


जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक) पाली